महत्वपूर्ण

संख्या–446/60–3–2016

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3. लखनऊः दिनांकः 27 अप्रैल, 2016

विषयः– उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा से संबंधित मेडिको–लीगल प्रोटोकाल पर चिकित्साधिकारियों के मण्डलवार प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि पूर्व में प्रेषित शासन के पत्र संख्या–1884/60–3–15, दिनांक 28.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा से संबंधित मेडिको–लीगल प्रोटोकाल पर चिकित्साधिकारियों के मण्डलवार प्रशिक्षण आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा फरवरी, 2015 तक प्रदेश के 12 मण्डलों में प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है, जिसमें राजकीय चिकित्सालयों के साथ ही साथ राजकीय मेडिकल कॉलेजों के कुल 754 चिकित्साधिकारियों ने प्रतिभाग किया है। अवशेष 06 मण्डलों में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी समय–सारिणी सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशा–निर्देश हेतु संलग्न है।

2. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डा0 श्याम बिहारी उपाध्याय, निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ, डा0 गयासुद्दीन खान, फोरेन्सिक साइंस विशेषज्ञ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ तथा डा0 एच0के0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देशन में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित मण्डलीय चिकित्सा अधिकारियों एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रमुखों को मण्डलवार प्रस्तावित दो दिवसीय

गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिभागियों को नामित करने की निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को देय यात्रा भत्ता, उनके स्वयं के विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

27/5

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–146(1)/60–3–2016 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, गृह विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– अपर महानिदेशक पुलिस, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– डा0 श्याम बिहारी उपाध्याय, निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– डा0 गयासुद्दीन खान, उप निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश।
7– डा0 एच0 के0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8– सम्बन्धित उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारियों एवं मण्डलीय जिला परिवीक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विवरणानुसार कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये प्राथमिकता के आधार पर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9– कोष कार्यलय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

C-2 tandan ji-go

- आजमगढ़ मण्डल – 6 एवं 7 मई, 2016
- मुरादाबाद मण्डल – 26 एवं 27 मई, 2016
- लखनऊ मण्डल – 10 एवं 11 जून, 2016
- चित्रकूट मण्डल – 24 एवं 25 जून, 2016
- बरेली मण्डल – 1 एवं 2 जुलाई, 2016
- इलाहाबाद मण्डल – 15 एवं 16 जुलाई, 2016